(2)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2025 रायपुर, दिनांक / /2025

// कार्यालय-सूचना //

आदेशानुसार, **''सतर्कता जागरूकता सप्ताह''** के अवसर पर **दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 (सोमवार)** को **पूर्वाह्न 11:00 बजे** समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संलग्न सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्रपत्र अनुसार शपथ लिया जाना है।

अत: समस्त अधिकारी/कमर्चारी अपनी शाखाओं/कक्षों में ही शपथ ग्रहण करेंगे।

आदेश से,

हस्ता./-

संचालक,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 14116 /वि.स./स्था./2025 रायपुर, दिनांक 26/10 /2025

प्रतिलिपिः-

01. माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव, छ.ग. विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ आफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।

26/10/25

प्रशासकीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

C:\Users\Dell\Desktop\2025 notesheet SUCHNA 2025.docx513

सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है । मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है ।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए ।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा ;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा ;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा ;
- जनहित में कार्य करूँगा ;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा ;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा ।